राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम /आई.आर./2000/पार्ट/17953 जयपुर, दिनांकः 28/6/22

अधिसूचना

चुंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में निम्नाकिंत अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना कमांक एफ 8 (5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/2846 दिनांक 02.02.2022 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 07.02.2022 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (2)सपठित धारा (3) की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 05.08.2021 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूची "भाग–1 एवम "भाग–2" में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित करती हैः–

अनुसूची " भाग–I"

क्र.सं0	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटन–डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11	तेल मिल (ऑयल मिल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज

14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22	सड़को के संन्निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिंजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक / कामगार भी शामिल हैं)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोड़ा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एचवं संस्थाओं मे नियोजन
39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स को–ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन

48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

अनुसूची " भाग–II"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
52	**(कृषि में नियोजन)**– किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमीररररररररररररक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ–साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनूसूची भाग I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
1. **अकुशल** – बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर,, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर–क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर – होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं	6734/–	259/–

भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100–100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)		
2. **अर्द्धकुशल** – मुंशी, भू मापक,, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे–मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईंगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्बलिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर्र, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	7046/–	271/–
3. **कुशल** – मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्ति तक की मशीनों के	7358/–	283/–

ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विप्मेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिटेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर–लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर,डाईंग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन,कार्डिग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस–ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्किन प्रिन्टिग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कूशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक **प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिसटेंट** तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
उच्च कुशल (highly skilled)- स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, **लैब**	8658/–	333/–

टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर, फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, **कुक,मेल / फिमेल, नर्स** तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)		

टिप्पणियॉः–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 171 अंक है।
9. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।

10 उक्त मजदूरी की दरे दिनांक 01.07.2021 से लागू होगी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या–8986/2021 में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित होने के क्रम में आवश्यकतानुसार पृथक से समीक्षा/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/17954-99 जयपुर,दिनांकः 28/6/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतू।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर